क्रमांक 1918-ज(I)-78/711.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज उसमें तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री विष्णु दत्त शर्मा, पुत्र श्री बिहारी लाल शर्मा, गांव बीजना, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं

क्रमांक 1894-ज(I) 8/715.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अभिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री भाना राम, पुत्र श्री मुख राम, गांव मोड़ी, तहसील चरखी दादरी, ज़िला भिवानी, को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

कोरीजैन्डम

दिनांक 6 जनवरी, 1979

क्रमांक **1881-ज(I)-78/719**.--हरियाणा सरकार, राजस्व विभाग, युद्ध जागीर अधिसूचना क्रमांक 1416-ज(I)-78/25972, दिनांक 20 सितम्बर, 1978, जो हरियाणा राजपत्र दिनांक 3 अक्तूबर, 1978 में मुद्रित हुई है, की तीसरी लाईन में जागीरदार का नाम "जगत प्रशाद" की बजाए "जगन प्रशाद" पढ़ा जाए ।

क्रमांक 1930-ज(I)78/723.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती सोनी देवी, विधवा श्री शिवचरण शर्मा, गांव सिरोही, तहसील नारनौल, ज़िला महेन्द्रगढ़ को रबी, 1975 से खरीफ, 1976 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1977 से 200 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1673-ज(I)-78/727.--श्री बाबू राम, पुत्र श्री गंगा राम गांव समालखी, तहसील नारायणगढ़, ज़िला अम्बाला की दिनांक 28 फरवरी, 1972 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) कि धारा 4 एवं 2(ए)(1) 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है, कि श्री बाबू राम की मुब्लिग 150 रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 342-आर-4-66/1005, दिनांक 10 अप्रैल, 1967 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-II-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती भगती के नाम खरीफ, 1972 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है ।

क्रमांक 1961-ज-(I)-78/731.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्रीमती इन्दर प्रकाश, विधवा श्री मदन लाल, गांव बोह, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1824-ज(II)-78/735.--पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2 (ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री शिवकृष्ण लाल कैप्टन, पुत्र श्री भगवान दास, निवासी मकान न० 81, वार्ड नं० 7 मौहल्ला राजपूतां, तहसील पानीपत, ज़िला करनाल को रबी, 1973 से खरीफ, 1974 तक 150 रु० वार्षिक तथा रबी, 1975 से रबी, 1976 तक 200 रु० वार्षिक तथा खरीफ, 1976 से पुन: 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 1936-ज(II)-78/739.--श्री दरया सिंह, पुत्र श्री गंगा राम, निवासी नोनोन्द, तहसील व जिला रोहतक के चौथे लड़के की आपातकाल में फौज में की गई सेवा के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दरया सिंह को मुब्लिग 150 रु० की वार्षिक की युद्ध जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1588-ज(II)-78/30782, दिनांक 8 नवम्बर, 1978 द्वारा मंजूर की गई थी, को बढ़ा कर उसे रबी, 1977 से 200 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत सहर्ष प्रदान करते है ।